(iii) उपस्कर की सप्लाई में विलंब; और

(iv) टेस्टिंग स्टेज पर कुछ उपस्करों में दोष उत्पन्न होना ।

शेष जिला मुख्यालयों में एस०टी० डी० सुविधा प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है ।

परिवहन विधि में छूट

876 **डा० अबरार अहमद खान :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 तक परिवहन विधि में क्या क्या छूटें दी गई थीं और क्या 31 मार्च, 1990 के बाद सभी छूटें वापस ले ली गई हैं और क्या अब उन छूटों की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) क्या सरकार 31 मार्च, 1990 तक दी गई छूटों को नये परिवहन विधेयक के पुनः स्थापित किये जाने तक जारी रखने पर विचार कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पूर्व में इन छूटों के देने के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या सरकार 15 प्रतिशत अतिभार की सुविधा को और आगे जारी नहीं रख सकती अथवा क्या सरकार उपभोक्ताओं के हित में लदान-क्षमता को 10 टन से बढ़ा कर 12 टन करने का विचार रखती है क्योंकि डीजल और बीमा, इस्पात इत्यादि के मूल्यों में वृद्धि के कारण परिवहन लागत में वृद्धि हुई है तथा 31 मार्च, तक 15% अतिभार की सुविधा वापस लिये जाने के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में दुगुना बोझ बढ़ा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) दिनांक 8-6-89 की अधिसूचना सं० का०आ० 414(ई) के उपबन्धों में संशोधन करके परिवहन वाहनों को, विनिर्दिष्ट अधिकतम सुरक्षित लदान भार से 15% अधिक भार ले जाने की अनुमति दी गई थी । दिनांक 30-8-1989 की अधिसूचना सं० का०आ० 680(ई०) द्वारा 31 मार्च, 1990 तक अस्थाई रूप से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई थी ताकि बीच की अवधि के दौरान भारी बाडियों को हल्की बाडियों में बदलने की सुविधा दी जा सके क्योंकि बताया गया था कि कुछेक किस्मों के वर्तमान वाहनों की भारी ढांचे वाली बाडियों से कारगर लदान क्षमता प्रभावित होती थी । दिनांक 30-8-89 की अधिसूचना 1-4-90 को समाप्त हो गई । 31-3-90 के बाद छूट की अनुमति नहीं है ।

Delisting French Classification Society for ships

877. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had delisted "Bureau Veritas" the French Classification Society for ships, following sinking/ disappearance of Ships viz; MV Nityananak and MV Mtyanand, in the Indian Ocean during 1984-85;

(b) whether it is also a fact that the present Government has revoked the said delisting order of the previous Government; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNNI-KRISHNAN): (a) to (c) In the wake of the disappearance of m.v. 'Nitya Nanak' and m.v. 'Nitya Ram' in June 1985, in the Bay of Bengal, the authorisation of Bureau Veritas, a French Ship Classification Society, to survey and inspect Indian ships and issue International Load Line Certificates on behalf of the Government of India, was suspended w.e.f. 12.8.1987 for a; period of one year, initially. This period of suspension

was further extended in August 1988. On receipt of further representation from the Society and certain circumstances of the case and in view of the fact that the authorisation had been suspended for more than two years, Government decided to revoke the suspension order with effect from 2.1 .1990

बोडो उग्रवादियों द्वारा किये गये विस्फोट

878. **श्री राम नरेश यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोडो उग्रवादियों ने 3-4-90 को निचले असम में बम विस्फोट द्वारा रेल की एक पटरी तथा पुल को उड़ा दिया था, यदि हां, तो विस्फोट के परिणामस्वरूप कितने लोग मारे गये और कितने घायल हुए ;

(ख) सरकार द्वारा उन आतंकवादियों के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही तथा हताहतों के आश्रितों तथा घायल व्यक्तियों को दी गई राहत में संबंध ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त घटना को देखते हुये रेल की पटरियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये है तथा इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) 3 अप्रैल, 1990 को ऐसी कोई घटना घटने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, 12 अप्रैल, 1990 को गुवाहाटी-न्यू बोंगाईगांव सेक्शन (एम जी) में चपराकाटा और बिजनी स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन पर एक बम फटा था । इस घटना में एक व्यक्ति मारा गया तथा दस व्यक्ति जख्मी हुये । 13 अप्रैल, 1990 को रेलवे ट्रेक पर बम फटने से 13 व्यक्ति मारे गये तथा 65 व्यक्ति जख्मी हुये । यह घटना उस समय घटी जब ट्रेन संख्या 5609 अवध-असम एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी । 26 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता देने के पश्चात छुट्टी दे दी गई । 13 अप्रैल, 1990 को हुये बम विस्फोट में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ । इस विस्फोट से राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलांस नदी पर बने पुल को क्षति पहुंची ।

(ख) और (ग) क्षेत्र में अर्द्धसैनिक बल तैनात किये गये हैं तथा बोंगाईगांव एवं एमजी ट्रेक पर पुलिस की गश्त और सवारी।माल गाड़ियों को रास्ते में संरक्षण देने में तेजी लाई गई है । रेलवे ने मरने वाले के निकट संबंधी को 5,000।- रु., गंभीर रूप से जख्मी हुई ऐसे व्यक्ति जिसको हस्पताल में क्रमश: 7 दिन से अधिक तथा 7 दिन तक उपचार लेने की आवश्यकता है, क्रमश: 2000।- रु. तथा 1000।- रु. तथा मामूली रूप से जख्मी हुये व्यक्ति को 250।- रु. की अनुग्रह राशि स्वीकृत की है ।

Bomb explosions in Assam-Avadh Express

879. SHRI HARVENDRA SINGH HANSFAL: Will 'the (Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the six bogies of 5609 Dn Assam-Avadh Express which plies between Delhi and Guwahati were derailed by two powerful bomb explosions on 13th April, 1990 near Guwahati;

(b) if so, the number or persons injured and killed due to the blasts;

(c) whether any clue has been found about planting of the said bomb at railway tracks; and

(d) if so, the details thereof and whether Government propose to probe the matter by setting up an inquiry in this regard; if so, the full facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) Yes, Sir.

(b) 13 passengers lost their live» and 65 passengers sustained injuries.